**संख्या-439/2018/122/22-2-2018-17(100)/2018**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2018***

विषय:- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इब्राहीम पुत्र श्री रमजानी, निवासी जनपद-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-745/प्रोबे0-5-द0या0/बैठक-17-12-2017 दिनांक 05-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी इब्राहीम पुत्र श्री रमजानी, निवासी ग्राम-अकबरपुर सादात, थाना-बहसूमा, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा लड़की से गलत सम्बन्ध के विवाद को लेकर दिनांक 05.06.2006 को 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे, लाठी, डण्डे व बल्लम से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-358/2006 में भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, मेरठ के आदेश दिनांक 08.01.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 06 अन्य सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा प्राप्त सजा भोग रहे हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2017 तक 09 वर्ष 04 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष 06 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति व जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी इब्राहीम (बन्दी संख्या-19/2013) पुत्र श्री रमजानी, निवासी जनपद-मेरठ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-439/2018/122(1)/22-2-2018 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in